न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मन्जू देवी आदि बनाम चावली देवी आदि

किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 93 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अभिभाषक की बहस दावा PD अधिनियम पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/2/26 को पेश हो।
23/2/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अभिभाषक PD अधि. FD के जवाब की नकल पर मनन किया जवाब पत्रावली का अवलोकन किया मेरा मनन के जवाब के आधार पर वकील सीमा गोयल के प्राप्त विभिन्न प्रस्ताव मंजूरनामा के अनुसार वादिनी का वाद आंशिक डिक्री किया जाता है सिविल व आंशिक डिक्री किया जाता है शामिल पत्रावली प्रमाण के लिए नाम शामिल पत्रावली की पत्रावली पेश हो। पत्रावली वकील अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)